<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

क्रमांक : एफ.6(33) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक/(संस्कृत शिक्षा)/2016–2017/ 5068 दिनांक : 02.03.21

आयोग द्वारा प्राध्यापक–(संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2018 के अंतर्गत **<u>विषय–सामान्य व्याकरण</u>** के पदों हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु पूर्व में जारी विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अपात्र/अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के विरूद्ध आयोग द्वारा दिनांक 18.02.2021 को अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई है।

विचारित सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों (56 अभ्यर्थी) के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच हेतु कांउसलिंग दिनांक 08.03.2021 को स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर अजमेर में आयोजित की जा रही है।, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 03.03.2021 से डाउनलोड कर उक्त दिनांक को भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में स्वयं व्यक्तिशः काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होवें। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्धारित दिनांक को काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 महामारी के संबंध में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों (Guideline) की पूर्णतः पालना करना आवश्यक है। **काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।**

(शुभम् चौधरी)
सचिव